न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 98/2017 राजस्व अपील

1. रामनारायण पुत्र रेवड जाति गुर्जर निवासी रेहडिया तहसील बसवा जिला दौसा

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा जिला दौसा
2. भौरया पुत्र गोपीराम निवासी रेहडिया तहसील बसवा जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार बसवा दिनांक 10.08.2017 जो मुकदमा उनवानी सरकार बनाम रामनारायण धारा 91 एल आर एक्ट पर पारित किया गया है।

उपस्थिति : श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: श्री राजेन्द्र जांगिड अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 02 उप0।

–: निर्णय :– दिनांकः 09.05.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा संवत 2072 में ग्राम रेहडिया तहसील बसवा में स्थित गैर मुमकिन रास्ता भूमि खसरा नंबर 1414 रकबा 0.05 है0 में से 0.01 है0 पर कब्जा डोल लगााकर कर अपने खातेदारी की भूमि में शामिल कर लिया। जिस पर बिना अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना दिनांक 10.08.2017 को अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अपीलान्ट को ख.न. 0.05 है0 मे से 0.01 है0 से बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया। जिसके विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई। तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट नं. 02 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पेश करने पर प्रार्थना स्वीकार किया जाकर पक्षकार बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गई।

अति0 जिला कलक्टर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया की ग्राम रहडिया मे स्थित भूमि खसरा नं. 1414 रकबा 0.05 है0 में से 0.01 है0 भूमि पर अपीलान्ट ने कब्जा डोल लगाकर अपनी खातेदारी की भूमि में शामिल कर लिया जिस पर बिना अपीलान्टन को सुनवाई और सबूत का अवसर दिये दिनांक 18.11.2015 को अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बसवा द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध बेदखली एवं 50 गुना पेनेल्टी कायम करने का आदेश दे दिया। जिसके विरूद्ध अपील सं. 122/2015 अनुवानी रामनारायण बनाम राज. सरकार प्रस्तुत कि गई। जिस पर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय द्वारा दिनांक 19.05.2017 को अपील स्वीकार करके उक्त निर्णय दिनांक 18.11.2015 को निरस्त कर प्रकरण इस आशय के साथ रिमाण्ड किया की उभयपक्ष को सुनवाई और सबूत का अवसर देते हुए विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर नियमों के परिपेक्ष में विधि सम्मत निर्णय पारित कर कार्यवाही सुनिश्चित करे। तत्पश्चात नायब तहसीलदार बसवा के यहा दिनांक 02.08.2017 को अपीलान्ट ने उपस्थित होकर अपने समस्त सबूत पेश किये और पत्रावली को वास्ते साक्ष्य दिनांक 10.08.2017 को रखा गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कोई साक्ष्य लिये बिना व सुनवाई और सबूत का अवसर दिये बिना और यह तय किये बिना की 0.01 है0 का कौनसी जगह पर अतिक्रमण है, दिनांक 10.08.2017 को अपीलान्ट की अनुपस्थिति में खसरा नं. 1414 रकबा 0.05 है0 में से 0.01 है0 पर से बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया। अपीलान्ट ने रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया। जहा होकर रास्ता बताया जा रहा है। वह सेटलमेंट ने गलत ईन्द्राज किया है। सेटलमेन्ट पूर्व उक्त भूमि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि थी और अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में से सेटलमेन्ट ने गलत रास्ता अंकित किया है जिसका सेटलमेन्ट को कोई अधिकार नही था। मौके पर कभी भी कोई रास्ता चालू नही रहा। सेटलमेन्ट की गलती को दुरस्त करने का तहसीलदार को स्वयं को अधिकार है किन्तु नायब तहसीलदार ने ऐसा नही करके अपीलान्ट के विरूद्ध बेदखली के आदेश पारित करके कानूनी गलती की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय दिनांक 10.08.2017 को निरस्त फरमावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 02 द्वारा निवेदन किया गया की रेस्पोडेन्ट नं. 02 का खेत खसरा नं. 1415 मे मौजूद है एवं उक्त रास्ता खसरा नं. 1414 का है। उक्त रास्ते के बन्द होने से खसरा नं. 1415 में रेस्पोडेन्ट के खेत में जाने का कोई रास्ता

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नही है। वर्तमान मे प्रश्नगत भूमि खसरा नं. 1414 रकबा 0.05 है0 मे से 0.01 है0 गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड है। दुरस्ती का क्षेत्राधिकार सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को है। अपीलान्ट को सम्बन्धित सक्ष्म न्यायालय में दुरस्ती हेतु चारा जोही करनी चाहिये थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान रिकार्ड के अनुसार प्रश्नगत भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज होने एवं उक्त रास्ते की भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण पाये जाने पर प्रश्नगत आदेश दिनांक 10.08.2017 द्वारा अपीलान्ट को बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये गये है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बसवा द्वारा प्रश्नगत भूमि खसरा नं. 1414 रकबा 0.05 है मे से 0.01 है0 भूमि वर्तमान में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड होने से अतिक्रमी को बेदखल करने के आदेश पारित किये गये है। अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत भूमि की किस्म परिवर्तन हेतु सक्ष्म न्यायालय में चारा जोही कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 09.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official